राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/178; दिनांक : 06th January 2021

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय : मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) 2.0 के संबंध में।

सन्दर्भः आकाशि का पत्रांक CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/140; दिनांकः 31st Dec. 2020 एवं पत्रांक CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/151; दिनांक : 1st January 2021 के कम में।

लेख है कि आकाशि के उपर्युक्त पत्रों के माध्यम से आप सभी को अवगत करवा दिया गया है कि सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास के प्रयासों के अन्तर्गत ही **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 आरंभ हो चुकी है।** इस सम्बंध में पूर्व में जारी निर्देशों के कम में ही राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगणों को निर्देशित किया जाता है कि –

1. समाचार पत्रों में सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों को यह सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें कि RSLDC के द्वारा **दिनांक 8 जनवरी 2021 को विद्यार्थियों के लिए प्रातः 11:00 बजे से RSLDC के Face-book पेज पर** उनके लिये **एक लाइव परिचर्चा आयोजित करवाई जा रही है**, जिसमें **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0** से संबंधित संभावित प्रश्नों का प्रत्युत्तर किया जायेगा। अतः समाचार पत्र, व्हाट्सएप ग्रुप एवं अन्य उचित माध्यम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को सूचित करवायें कि वे इस योजना की विस्तृत जानकारी एवं समस्या समाधान हेतु इस Face-book लाइव परिचर्चा में जुडें। विद्यार्थियों को सीधे ही RSLDC के Face-book पेज पर जुडना है, इसके लिये किसी लिंक की आवश्यकता नहीं है।
2. इसी प्रकार **दिनांक 8 जनवरी 2021 को ही मध्यान्ह 12.00 बजे से सभी राजकीय महाविद्यालयों के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों सहित इस प्रकोष्ठ के अन्य सदस्यों के लिये भी** एक ऑनलाइन मीटिंग **CISCO WebEx** पर आयोजित की जायेगी, जिसमें इस योजना की विस्तृत जानकारी दिये जाने के साथ–साथ सहभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का प्रत्युत्तर किया जायेगा। इस मीटिंग के लिये नीचे दर गई लिंक के माध्यम से जुडना होगा।

   https://phoenix1.webex.com/phoenix1/j.php?MTID=mc2ea9f18f16bab2526427a894902b674

   सभी प्राचार्यगण अपने महाविद्यालय की नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ टीम को दिनांक 8 जनवरी 2021 को ही मध्यान्ह 12.00 बजे से इस ऑनलाइन मीटिंग में जुडने के लिये निर्देशित करें। साथ ही, स्वेच्छा से जो प्राचार्य स्वंय भी इस मीटिंग में जुडना चाहें, वे भी इस ऑनलाइन मीटिंग में सहभागी हो सकते हैं।

3. सभी प्राचार्यगण ध्यान दें कि आप सभी अपने–अपने महाविद्यालय में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ का आवश्यक रुप से गठन करें। इस संबंध में पूर्व में भी 02 बार आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। साथ ही, इस मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना से संबंधित कमेटी का गठन करें, जो इस योजना से संबंधित विद्यार्थियों की समस्याओं, जिज्ञासा का स्थानीय स्तर पर समाधान कर उनका मार्गदर्शन करेंगी। कुछ महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आयुक्तालय की समन्वयक टीम के नम्बर देकर सर्म्पक के लिये निर्देशित किया जा रहा है, जबकि आयुक्तालय स्तर पर गठित यह टीम महाविद्यालयों/संकाय सदस्यों की सहायता के लिये है। अतः **इस निर्देश की अविलम्ब पालना सुनिश्चित करावें कि विद्यार्थियों को इस संबंध में महाविद्यालय के स्तर पर ही मार्गदर्शन प्राप्त हो।**

4. महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन लिंक उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था करवाई जावे। यह लिंक पत्रांक CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/140; दिनांकः 31st Dec. 2020 में पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित है। यह पत्र आयुक्तालय की वैबसाइट पर अपलोडेड है।

5. मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 ही रहेगी। अतः इस संदर्भ में जिस किसी भी माध्यम से संभव हो विद्यार्थियों तक सूचना का प्रचार प्रसार करवाने का हर संभव प्रयास करें, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

6. मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के अतिरिक्त जिन 50 राजकीय महाविद्यालयों को बजट घोषणा 2020–21 के बिन्दु संख्या 101 की क्रियान्विति में कौशल विकास के अन्य कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं, वे उन कोर्सेज को, जो कि मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में उपलब्ध हैं, के साथ मर्ज कर सकते हैं। तथा ऐसे कोर्स जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें अपने स्तर पर ही संचालित करवायें।

7. उपर्युक्त 50 राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त कौशल विकास से संबंधित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने महाविद्यालय में आयोजित करवाना चाहें तो वे इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को अनुमोदन हेतु भिजवायें ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

सन्देश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

पत्रांकः : CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/179; दिनांक : 06th January 2021

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, RSLDC, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, कॉलेज समूह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशानुसार अपने संबंधित महाविद्यालयों को सूचित/साझा करने हेतु।
6. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशानुसार उनके संबंधित सम्भागों में महाविद्यालयों को सूचित/साझा करने हेतु।
7. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

07/1/2021

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ